गुरु घासीदासविश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्र.25 अंतर्गतस्थापितकेन्द्रीय विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 13 /बै.प्र./**2024** बिलासपुर, दिनांक :07·01·2024

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
विद्यापरिषद की स्थायी समिति,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 171वीं बैठक दिनांक 07.01.2024 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

–––0–––

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत, दिनांक 07.01.2024 को आयोजित विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 171वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

आदेशानुसार

07/01/24

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ0 क्रमांक 14 /बै.प्र./**2024** बिलासपुर, दिनांक :07·01·2024

प्रतिलिपि :–

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव–अकादमिक/प्रशासन/विकास/प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

07/01/24

कुलसचिव (कार्यवाहक)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 171वीं बैठक दिनांक 07.01.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 171वीं बैठक दिनांक 07.01.2024 को प्रातः 10:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
14.	डॉ0 बबिता माझी	सदस्य
15.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
16.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
17.	प्रो0 व्ही.एस. राठौड़	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक कार्यवाही प्रारंभ के पूर्व अपने प्रारंभिक उद्बोधन में विचारों की शुद्धता की प्रासंगिकता के बारे में उल्लेख करते हुए एक दूसरे का सहयोग करने तथा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिल–जुल कर आपसी सहयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 170वीं बैठक दिनांक 19.12.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 170वीं बैठक दिनांक 19.12.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 170वीं बैठक दिनांक 19.12.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 170वीं बैठक दिनांक 19.12.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. **विभागीय शोध समिति शारीरिक शिक्षा विभाग की अनुशंसित एम.पीएड. तथा योगा पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विभागीय शोध समिति शारीरिक शिक्षा विभाग की अनुशंसित एम.पीएड. तथा योगा पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विभाग के नाम परिवर्तन संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 04. **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय एवं डाटा फ्लायर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय एवं डाटा फ्लायर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 05. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में प्रधानमंत्री, भारतीय जन औषधि केन्द्र (PMBJK) खोलने पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में प्रधानमंत्री, भारतीय जन औषधि केन्द्र (PMBJK) खोलने संबंधी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है तथापि प्राप्त प्रस्ताव के पुनरावलोकन एवं परीक्षणोपरान्त यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 06. **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 04.01.2024 में दिये गये अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 04.01.2024 में दिये गये अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 07. **मानद उपाधि प्रदान किये जाने पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि श्री अजित कुमार डोवाल, कीर्ति चक्र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत सरकार को डी–लिट की मानद उपाधि प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं इस संबंध में शेष प्रक्रिया सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 08. **अध्ययन मण्डल वाणिज्य विभाग की बैठक दिनांक 03.11.2023 द्वारा अनुशंसित बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर (NEP 2020) की पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल वाणिज्य विभाग की बैठक दिनांक 03.11.2023 द्वारा अनुशंसित बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर (NEP 2020) पाठ्यक्रम, बी.कॉम एलओसीएफ पाठ्यक्रम, एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर पाठ्यक्रम, प्री–पीएच.डी. पाठ्यक्रम एवं प्रस्तावित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का बैठक के दौरान सुझाये गये संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप हो।

07/01/24

07/01/2024

विषय क्र. 09. **विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के कॉन्फ्रेंस रूम के नामकरण पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय तथा यह भी निर्णय लिया गया कि स्थायी समिति के सदस्यगण प्रस्तावित नामों की सूची पृथक से कुलसचिव को उपलब्ध करायेंगे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्राप्त सूची में से नामकरण किये जाने संबंधी कार्यवाही कुलपति महोदय के निर्णयाधीन रहेगी।

विषय क्र. 10. **वित्तीय वर्ष 2023—24 एवं आरबीई 2023—24 के दौरान निधि उपलब्धता के अधीन योजना 31 एवं आईआरजी एवं 35 के अंतर्गत यूजीसी से प्राप्त स्वीकृत बजट के मदवार वितरण हेतु संशोधित प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2023—24 एवं आरबीई 2023—24 के दौरान निधि उपलब्धता के अधीन योजना 31 एवं आईआरजी एवं 35 के अंतर्गत यूजीसी से प्राप्त स्वीकृत बजट के मदवार वितरण हेतु संशोधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 बैठक के दौरान चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठकों में परीक्षा नियंत्रक विशेष आमंत्रित के रूप में स्थायी रूप से उपस्थित रहेंगे तथा आगामी बैठकों में शामिल किये जायेंगे।

अ.अ.वि.क्र.2 बैठक के दौरान परीक्षा शाखा से प्राप्त प्रकरण पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षाओं के दौरान यदि कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्वविद्यालय परिसर से बाहर रहता है तब की स्थिति में संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता ऐसे विद्यार्थी के संबंध में विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार कर आंतरिक परीक्षाओं के पुनः आयोजन हेतु अनुमोदन प्रदान कर सकते है।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के दौरान यदि कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए बाहर रहता है तब की स्थिति में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षायें दोबारा आयोजित नहीं की जायेंगी एवं ऐसे विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में उन्नत करते हुए प्रभावित सेमेस्टर एवं प्रश्न पत्रों के लिए एटीकेटी की पात्रता होगी।

अ.अ.वि.क्र.3 बैठक के दौरान समन्वयक स्वावलंबी छत्तीसगढ़ के द्वारा विश्वविद्यालय के उत्पादों को स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत बिक्री किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्राप्त प्रस्ताव के पुनर्विचार एवं परीक्षण हेतु समिति गठित की जाय। यह समिति अपना प्रतिवेदन यथाशीध्र प्रस्तुत करे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्यों के नाम नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

07/01/24 — 07/01/2024

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव — **कुलपति/अध्यक्ष**

Mcell~I\SC\..\SC 07-01-2024